

आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee)

डी. एस. बी. परिसर, नैनीताल

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा जजमेंट के क्रम में 1997 में जारी विशाखा गाइडलाइन के अनुसार डी. एस. बी. परिसर, नैनीताल में दिनांक 01/07/2013 को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया गया। प्रो. नीता बोरा शर्मा को तत्कालीन निदेशक डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल द्वारा इस समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। दिनांक 15/07/2013 को इसके अंतर्गत विधिवत एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य निम्नांकित थे –

1. प्रो. नीता बोरा शर्मा (अध्यक्ष), राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल
2. प्रो. पी. एस. बिष्ट (सदस्य), अर्थशास्त्र विभाग, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल
3. प्रो. राजेश्वरी पंत (सदस्य), राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल
4. प्रो. सावित्री कैडा जंतवाल (सदस्य), इतिहास विभाग, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल
5. प्रो. गीता तिवारी (सदस्य), रसायन विज्ञान, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल

इस समिति द्वारा आयोजित की गई बैठकों का विवरण इस प्रकार है- 03/08/2013, 10/09/2013, 05/04/2014, 06/09/2014, 06/12/2014, 02/05/2015, 04/07/2015, 06/10/2018, 12/10/2018, 25/10/2018, 01/01/2019। इस प्रकार कुल 11 बैठकें सम्पन्न हुईं

इस समिति के द्वारा डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनिमय 2015 के समस्त नियमों का अनुपालन किया जाता है। इस समिति का पुनर्गठन 24/09/2019 को किया गया।

आई सी सी (ICC) के अधिनियम और नियमों, भूमिका, कार्यों आदि के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है: